आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
11.07.14	**न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल** **दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या 11/13–14** **अशोक कुमार वनाम् अंचल अधिकारी अरवल** **आदेश** यह दाखिल खारिज अपीलवाद श्री अशोक कुमार पिता स्व० अयोध्या सिंह साकिन फेकू विगहा थाना वो जिला अरवल के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 376/07–08 में अंचल अधिकारी अरवल के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। वाद की प्रविष्टि की गई। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:– (1) अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि का किसी के हाथों हस्तांतरण नही किया गया है,फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना पूछे उतरवादीगण की मॉ,जिनकी मृत्यु काफी पूर्व हो चुकी है,के नाम दाखिल खारिज कर दिया गया। (2) अपीलार्थी जब राजस्व भुगतान करने हेतु अंचल के हल्का कर्मचारी के पास गये तो जानकारी हुई कि अपीलार्थी के डिमाण्ड से हटाकर उतरवादी के मॉ के नाम डिमाण्ड कायम कर दिया गया है। (3) अपीलार्थी द्वारा 21.08.12 को निम्न न्यायालय का बजाप्ता नकल हेतु चिरकूट दाखिल किया गया जो अपीलार्थी को 23.06.12 को प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल खारिज वाद संख्या 12/12–13 दायर किया गया। (4) उपरोक्त अपीलावाद 12/12–13 इस आधार पर खारिज किया गया कि मूल आदेश के वाद संख्या 376/07–08 में पारित आदेश के विरूद्व दाखिल खारिज अपील दायर नहीं किया गया है। (5) उपरोक्त पारित आदेश के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अपने स्तर से दाखिल खारिज वाद संख्या 376/07–08 में पारित आदेश की खोज–बीन करवाया गया,लेकिन उपरोक्त अभिलेख प्राप्त नही हुआ। (6) अपीलार्थी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 376/07–08 के बाजाप्ता नकल हेतु अंचल कार्यालय में 09.05.13 को चिरकूट दाखिल किया तो 24.09.13 को चिरकूट बजाप्ता नकल यह लिखकर दिया गया कि पूर्व सहायक द्वारा वर्ष 2007–2008 का अभिलेख मुझे हस्तगत नहीं कराया गया। (7) चिरकूट का बाजाप्ता नकल प्राप्ति के समय सीमा के अंदर श्रीमान् के समक्ष दाखिल खारिज अपील किया गया है,फिर भी पूर्व के कारणों को दर्शाते हुए अपीलार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के अन्तर्गत कन्डोन आवेदन भी दाखिल किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद को प्रविष्ट कर गुण दोष के आधार पर सुनवाई हेतु रखने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने	

किया है।

उतरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) अपीलार्थी द्वारा लाई गई अपील पत्र बगैर आधार एवं प्रोविजन के दाखिल की गई है। वाद किस धारा एवं अधिनियम में दाखिल किया गया है,इसका उल्लेख अपील पत्र में नही दीं गई है।

(2) उक्त अपील पत्र में विधिक प्रकिया का पूर्णतः अभाव है। नियमतः आक्षेपित आदेश का बजाप्ता नकल विहित प्रपत्र में दाखिल किया जाना चाहिए था जबकि अपील पत्र के साथ आक्षेपित आदेश का बजाप्ता नकल संलग्न नहीं की गई है।

(3) दाखिल खारिज वाद संख्या 376/07–08 में पारित सारगर्भित आदेश के विरूद्व लगभग छह वर्ष बाद यह वाद लायी गई है,अपील पूर्णतः काल बाधित है और काल बाधा क्षमा याचना में संतोष जनक विलम्ब का कारण नहीं दिया गया है। जबकि नियमतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश के 30 दिनों के अंदर अपील लाने की बाध्यता है।

(4) कालबाधा याचना आवेदन के पैरा (1) में अभिकथित कथन पूर्णतः असत्य एवं मनगढ़न्त है। वास्तव में दाखिल वाद संख्या 376/07–08 में किया गया दाखिल खारिज सभी विधिक औपचारिकताओं को पूरी करते हुए,दो वसिकाओं से प्राप्त भूमि का दो अलग–अलग दाखिल खारिज वाद संख्या से प्रार्थी प्रतिवादी की मॉ देवमुन्दरी देवी के नाम जमाबंदी कायम की गई थी, जिसे जमाबंदी एराजी में सुधार हेतु दिये गये आवेदन पर सुधार आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या 12/12–13 में दिनांक 04.05.13 को अंतिम आदेश विद्वान न्यायालय द्वारा पारित की गई थी,फलतः इसके पूर्व ही दाखिल खारिज वाद संख्या 376/07–08 की जानकारी अपीलार्थी को विधिवत हो चुकी थी,बाबजूद इसके अपीलार्थी उक्त अपील पत्र की जानकारी तिथि से भी काल बाधित होने पर दाखिल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रविष्टि की विन्दू पर वाद खारिज होने योग्या है

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने प्रस्तुत अपीलवाद दाखिल खारिज वाद संख्या 376/07–08 में पारित आदेश के खिलाफ दायर किया है। अर्थात् लगभग छह वर्षो बाद दायर किया है। साथ ही,आवेदक के द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि भी दाखिल नही की गई है। बगैर सच्ची प्रतिलिपि के न्यायालय वाद को प्रविष्ट करने से इनकार करती है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।